वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2011–2012)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2464643, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.nic.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	3
2.	वर्ष 2011–12 की अवधि में जारी किये गये टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं	5
3.	वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	11
4.	अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड	12
	परिशिष्ट–1	15
	परिशिष्ट–2	16
	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	17–19
	परिशिष्ट–4	20

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात्, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 की गतिविधियों का सारांश

1.4 वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
1	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	23.05.2011
2	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण	31.05.2011
3	वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए विद्युत पारेषण टैरिफ का सत्यापन आदेश	26.12.2011
4	वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश (i) बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) (ii) सौर विद्युत परियेाजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु आदेश को जारी रखने संबंधी आदेश	 02.03.2012 06.03.2012
5	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण	16.03.2012
6	वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश	22.03.2012
7	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	31.03.2012

1.5 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 84 याचिकाऐं, जिनमें 9 स्व–प्रेरणा याचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 23 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार, कुल 107 याचिकाओं में से कुल 78 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 29 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2012–13 में जारी रहेगी।

1.7 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकों का आयोजन क्रमशः दिनांक 19.4.2011 व दिनांक 3.2.2012 को किया गया। टैरिफ के अवधारण तथा उपभोक्ता हितों के संवर्धन से संबंधित विषयों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्श पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये।

1.8 आयोग की संरचना

श्री राकेश साहनी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 22.09.2010 से कार्यरत हैं। श्री के.के. गर्ग, दिनांक 21 जनवरी, 2008 से सदस्य (अभियांत्रिकी) के पद पर कार्यरत थे एवं उन्होंने 10 दिसंबर, 2011 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर आयोग की सेवा से अवकाश ग्रहण किया। श्री सी.एस. शर्मा दिनांक 9 जुलाई, 2008 से सदस्य (इकॉनामिक्स) के पद पर कार्यरत हैं। आयोग के सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

अध्याय – 2

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर निर्धारण हेतु दिनांक 23 मई, 2011 को जारी आदेश के मुख्य बिन्दु

2.1. यह विद्युत दर निर्धारण आदेश 1 जून, 2011 से प्रभावी किया गया था।

2.2. वर्ष 2011–12 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्यमान दरों में लगभग 27% की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी एवं इसके साथ 1672 करोड़ रू. की नियामक आस्तियां भी प्रस्तावित की गई थी जिनका भविष्य में दावा किया जाना प्रस्तावित था। इसके विरूद्ध आयोग द्वारा विद्युत दरों में 6.14% की वृद्धि स्वीकृत की गई व प्रस्तावित नियामक आस्तियों को स्वीकृत नहीं किया गया ।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विनियम के अनुसार रू. 15579/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता तथा अतिरिक्त निवेदन के जरिये रू. 17337/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रू. 12444/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया । विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत दरों का निर्धारण किया गया ताकि वितरण कम्पनियों को आयोग द्वारा ग्राह्य कुल राजस्व आवश्यकता के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो सके ।
3. आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियम के प्रावधानों से अधिक स्तर के वितरण हानियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया । तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया।

प्रस्तावित एवं ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर

कम्पनी	प्रस्तावित	विनियम में दिये गये प्रावधान
पूर्व	29.35%	27%
पश्चिम	24%	24%
मध्य	29%	29%

4. ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी खपत 30 यूनिट या उससे कम है की विद्युत दरों में मात्र 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई ।

5. अधिकतम मांग के संविदा मांग से 105 प्रतिशत तक रहने की दशा में भी कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया गया। अतिरिक्त प्रभार 105 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने पर ही लगाया गया।
6. निर्धारित सीमा से मांग बढ़ने पर देय अतिरिक्त प्रभार, नियत एवं ऊर्जा प्रभार टैरिफ के 1.5 गुना दर से घटाकर 1.3 गुना किया गया ।
7. पावर इंटेंसिव उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उच्चदाब–3 विद्युत दरों में एक नई उपश्रेणी ''पावर इंटेंसिव उपभोक्ता'' की बनाई गई जिसकी ऊर्जा प्रभार की दरें अन्य औद्योगिक संयोजनों की तुलना में कम रखी गई ।
8. लोड फैक्टर प्रोत्साहन क्रमिक रूप से घटाया जाये, इस नीति के अनुसार आयोग द्वारा लोड फैक्टर प्रोत्साहन की पात्रता के स्तर को 50 से बढ़ाकर 75 तक किया गया ।
9. ग्रामीण क्षेत्र की निम्नदाब श्रेणियाँ जिनमें वार्षिक न्यूनतम (गारंटीड) खपत का प्रावधान था, इसे 240 यूनिट प्रति हॉर्स पावर या किलोवाट से घटाकर 180 यूनिट किया गया ।
10. आयोग द्वारा हितधारकों की दशमलव अंक में पावर फैक्टर को राउण्ड ऑफ करने की व्यवस्था में कठिनाई को देखते हुए इसे पूर्ण संख्या पर लागू करने का फैसला लिया गया ।
11. दूर संचार अधोसंरचना सेवा प्रदायकों के सुझावों पर विचार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मोवाइल टावर के संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार में छूट (Rebate) का प्रावधान किया गया।

2.3 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण :

आयोग द्वारा दिनांक 31 मई, 2011 को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु आदेश जारी किये गये।

2.4 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत पारेषण टैरिफ सत्यापन आदेश :

आयोग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2011 को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दाखिल की गई याचिका पर आधारित विद्युत पारेषण टैरिफ के सत्यापन के आदेश जारी किये गये। आयोग द्वारा विद्युत पारेषण टैरिफ दिनांक 13 मार्च, 2006 को अवधारित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश :

2.5 बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति : आयोग द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2012 को पारित आदेश के अंतर्गत बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजना से विद्युत अधिप्राप्ति हेतु, इस आदेश के बाद क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के लिए इनके 20 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु वर्ष 2012–13 के लिए विद्युत–दर निर्धारित की गई।

2.6 सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन : आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2010 को पारित आदेश के अंतर्गत क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के लिये इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु निर्धारित संतुलित विद्युत–दरों (levelized tariffs) को आगामी आदेश तक जारी रखने हेतु दिनांक 6 मार्च, 2012 को आदेश दिया गया ।

2.7 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहणः

आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु आदेश जारी किये गये।

2.8 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश :

आयोग द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2012 को म.प्र. जनरेशन कंपनी, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु दाखिल की गई याचिका पर आधारित विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के आदेश जारी किये गये। आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन टैरिफ दिनांक 7 मार्च, 2006 को अवधारित किया गया था।

2.9 वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये खुदरा प्रदाय विद्युत दर निर्धारण हेतु दिनांक 31 मार्च, 2012 को जारी आदेश के मुख्य बिन्दु :

1. यह विद्युत दर निर्धारण आदेश **10 अप्रैल, 2012** से प्रभावी किया गया।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्यमान दरों में लगभग 24% की वृद्धि प्रस्तावित की थी एवं इसके साथ 4659 करोड़ रू. की नियामक आस्तियां भी प्रस्तावित की थी जिनका भविष्य में दावा किया जाना प्रस्तावित थी। इसके विरूद्ध आयोग द्वारा विद्युत दरों में 7.17% की वृद्धि स्वीकृत की गई व समस्त खर्चों को उचित रुप से मान्य करने के उपरांत प्रस्तावित नियामक आस्तियों को स्वीकृत करने की आवश्यता नहीं रही ।
3. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विनियम अनुसार रू. 23,912/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता तथा अतिरिक्त निवेदन के जरिये रू. 25,939 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रू. 15,667/– करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया । विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है ताकि वितरण कम्पनियों को आयोग द्वारा ग्राह्य कुल राजस्व आवश्यकता के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो सके ।
4. आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियम के प्रावधानों से अधिक स्तर के वितरण हानियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया । तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया ।

प्रस्तावित एवं ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर

कम्पनी	प्रस्तावित	विनियम में दिये गये प्रावधान
पूर्व	26.35%	24%
पश्चिम	22%	22%
मध्य	26%	26%

5. ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी खपत 30 यूनिट या उससे कम है की विद्युत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
6. आयोग ने वर्ष 2012–13 के विद्युत दर निर्धारण में दर संरचना में कुछ परिवर्तन किये हैं । ऐसा आयोग को प्राप्त हुए सुझाव/आपत्तियों के आधार पर किया गया है। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं :–

1. **<u>घरेलू श्रेणी की स्लैब में परिवर्तन</u>**

घरेलू श्रेणी की विद्यमान स्लैब के ढांचे में परिवर्तन किया गया। विद्यमान ढांचे में 101 से 200 यूनिट प्रतिमाह एव 200 यूनिट से अधिक प्रतिमाह के स्लैब के ढांचे को परिवर्तित कर अब इसे 101 से 300 यूनिट प्रतिमाह 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह एवं 500 यूनिट से अधिक प्रतिमाह खपत के आधार पर निर्धारित किया गया है । घरेलू उपभोक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों के खपत को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त परिवर्तन किये गये हैं । इससे निम्न एवं मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

2. **<u>हार्टिकल्चर हेतु प्रथक उपभोक्ता श्रेणी :</u>**

फूल, पौधे, अंकुर, फल, घास–फूस तथा मशरूम की खेती हेतु हार्टिकल्चर के लिये नयी टैरिफ श्रेणी 5.2 का निर्माण किया गया है, जिसकी दरों को कृषि दरों के समान ही रखा गया है।

3. **<u>कृषि टैरिफ एल.वी. 5.1 में नई उपश्रेणी :</u>**

वर्तमान में विद्यमान 300 यूनिट प्रतिमाह एवं 300 से अधिक यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह, 301 यूनिट से 750 यूनिट तक तथा 750 यूनिट से अधिक की खपत के अनुसार नई उप श्रेणियों का निर्धारण किया गया । माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अधिक खपत के स्तरों पर क्रास सबसिडी को हतोत्साहित किया जाना चाहिये इसको दृष्टिगत रखते हुए 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत के लिये अलग दरों का निर्धारण किया गया ।

4. **ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के बिलिंग मानक में परिवर्तनः**

ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के बिलिंग मानक को 42 यूनिट प्रतिमाह निर्धारित किया गया।

5. **ईंधन प्रभार प्रणालीः**

ईधन की लागत में वर्ष के दौरान आने वाले परिवर्तन से की वसूली के लिये यह प्रणाली जारी की गई। विगत समय में ईधन की लागत में आने वाले बार–बार परिवर्तनों को, खासतौर से कोयले की कीमत में आने वाले परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रणाली को लागू करना आवश्यक पाया गया। तदनुसार, ईधन लागत समायोजन प्रभार को इस दर आदेश में जारी किया गया।

6. **मीटरीकृत कृषि उपभोक्ता के न्यूनतम खपत में संशोधन (एल.वी–5.1):**

मीटरीकृत कृषि उपभोक्ता के न्यूनतम खपत में परिवर्तन किया गया। उपभोक्ता द्वारा अब प्रतिमाह अप्रैल से लेकर सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति हार्सपावर एवं अक्टूबर से लेकर मार्च तक 90 यूनिट प्रति हार्सपावर की न्यूनतम खपत प्रतिभूति देय होगी चाहे विद्युत का उपयोग माह के दौरान किया गया हो या नहीं।

7. **थोक (Bulk) घरेलू उपभोक्ता उच्च दाब श्रेणी 6.1 में गैर घरेलू/वाणिज्यिक एवं अन्य सामान्य प्रयोजन के उपयोग की सीमा में वृद्धिः**

सभी संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात आयोग द्वारा उक्त सीमा को विद्यमान 10 प्रतिशत के स्थान से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक किया गया।

8. **विलंब शुल्क की दर में कमीः**

वर्तमान में बिलों के भुगतान नियत तिथि के बाद लगने वाले विलंब शुल्क की दर को 1.25 प्रतिशत के घटाकर 1 प्रतिशत किया गया।

9. **पॉवर फेक्टर प्रोत्साहन :**

उच्च दाब उपभोक्ताओं जिनका पॉवर फेक्टर 99 प्रतिशत या 100 प्रतिशत हो, के लिये प्रोत्साहन दर बढ़ाई गई ।

10. **भार कारक प्रोत्साहन के ढांचे में पुनरीक्षण :**

आयोग का यह मत रहा है कि भार कारक प्रोत्साहन की दर को लगातार कम किया जावे, जैसा कि पिछले वर्षों के आदेशों में भी किया गया । इस नीति के अनुसार आयोग द्वारा इस दर को 0.15 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत घटाया गया, जो कि 75 प्रतिशत से अधिक भार कारक पर प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि पर लागू है तथा इसे 75 प्रतिशत से अधिक भार कारक के समतुल्य उर्जा प्रभारों पर लागू किया जाता है ।

11. <u>वार्षिक न्यूनतम (गारंटीड) खपत में कमी :</u>

विद्यमान उच्चदाब 3.1 दर श्रेणी के 33 के.वी. एवं 11 के.वी. उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 100 के.वी.ए. तक है की विद्यमान वार्षिक न्यूनतम (गारंटीड) खपत को 900 यूनिट से घटाकर 600 यूनिट प्रति के.वी.ए. कर दिया गया ताकि निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 150 हापा से अधिक है उन्हें उच्च दाब श्रेणी में कनेक्शन परिवर्तित में सहुलियत हो।

12. <u>निम्न दाब दरों की सामान्य शर्तें एवं निबंधन की शर्त 7 (क्यू) में परिवर्तनः</u>

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका 6006/2008 के दिनांक 21.02.2012 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये निम्न दाब दरों की सामान्य शर्तें एवं निबंधन की शर्त क्र. 7 (क्यू) में समुचित परिवर्तन किया गया।

13. <u>डेन्टल क्ष–किरण उपकरण के लिये अतिरिक्त स्थाई प्रभार :</u>

वर्तमान में डेन्टल क्ष–किरण उपकरणों पर क्ष–किरण संयत्र के अनुसार ही अतिरिक्त स्थाई प्रभार लगता है। संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण अनुसार डेन्टल क्ष–किरण उपकरण की क्षमता सामान्य क्ष–किरण संयंत्र की तुलना में काफी कम होती है, को दृष्टिगत रखते हुये डेन्टल क्ष–किरण उपकरण के लिये कम दरों पर अतिरिक्त स्थाई प्रभार निर्धारित किया गया।

14. <u>वेल्डिंग सरचार्ज :</u>

विभिन्न सुझावों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि पावर फैक्टर 0.8 या अधिक होने की स्थिति में वेल्डिंग सरचार्ज नहीं लगेगा ।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा । तद्नुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में उपरोक्त दर्शाये गये अधिनियमों में उपलब्ध लगभग समस्त उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 2011–12 के दौरान विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 4

अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड

4.1 प्रतिवेदन की विचाराधीन अवधि में, आयोग ने उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग तथा समग्र विकास हेतु उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता लाये जाने के संबंध में सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विषयों पर की गई पहल एवं इनका अनुवीक्षण जो कि वर्ष के दौरान किया गया है आदि, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

अनुपालन मानदण्ड

4.2 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों हेतु अनुपालन मानदण्डों संबंधी विनियम विनिर्दिष्ट किये गये हैं। आयोग द्वारा वर्ष के दौरान राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित प्रचालन अनुपालन का अनवीक्षण किया गया तथा जहां–जहां आवश्यक था, वस्तुस्थिति में सुधार लाये जाने की दृष्टि से अनुज्ञप्तिधारियों से निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखी गयी। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों हेतु प्रचालन अनुपालन मानदण्ड, यथा फ्यूज ऑफ कॉल का निवारण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित किये जाने हेतु त्रुटियों में सुधार, मीटर (मापयंत्र) संबंधी शिकायतें, बिलिंग की त्रुटियों में सुधार, रूके हुए/ खराब मीटरों तथा जले हुए ट्रांसफामरों को बदलने, उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण आदि हेतु निर्दिष्ट समय–सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है। इन विनियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं में होने वाले विलंब के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान–योग्य क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत् कई कदम उठाने में उसके द्वारा पहल की गई है। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

(1) **विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** :– विद्युत सुधारों के उद्धदेश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। विद्युत **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के

अंतर्गत आयोग के सलाहकार के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क)	दिनांक 31.3.2011 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	065
(ख)	वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	596
(ग)	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल शिकायतों की संख्या	661
(घ)	वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	526
(ड)	दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	135

(2) केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :– आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की गई है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन फोरमों का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2011–12 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण **परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स)** में दर्शाये गये हैं।

(4) फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :– वर्ष 2008 से शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट www.mperc.nic.in पर किया जा सकता है।

(5) विद्युत लोकपाल :– राज्य में विद्युत लोकपाल का पद सृजित किया गया है। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त किये गये तथा निराकरण किये गये प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट–4** पर दर्शाए गये हैं।

(6) उपभोक्ता संबंधी विषयों पर गैर–शासकीय संगठनों (एनजीओ) को संबद्ध किया जानाः–

आयोग के मतानुसार, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में गैर–शासकीय संगठनों के सन्निहित होने / उनके द्वारा सहायता प्रदान कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतएव, आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु गैर–शासकीय संस्थाओं को इस अभियान में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। आयोग द्वारा लगभग 125 गैर–शासकीय संस्थाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रति वर्ष एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से गैर–शासकीय संस्थाओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अवधारण की सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से उनके विचार/सुझाव प्रस्तुत किये जाने बाबत् आमंत्रित किया जाता है।

(7) उपभोक्ता अधिकार–पत्र :– आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वितरण केन्द्रों, मैदानी कार्यालयों तथा निगमित कार्यालयों में प्रचार–प्रसार हेतु उपभोक्ता अधिकार–पत्र जारी किया गया है। आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस हेतु उपभोक्ता अधिकार–पत्र की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गईं हैं।

4.4 **विनियमन परिपालन :–** आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक समीक्षा की गई। आयोग द्वारा आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/ दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

4.5 आयोग ने वर्ष 2011–12 के दौरान उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों में 9 स्व–प्रेरणा याचिकाऐं पंजीबद्ध की एवं आयोग ने 6 मामलों में अपने निर्देशों के अनुपालन हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारकों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत नोटिस जारी किये तथा समुचित निर्देश दिये गये।

परिशिष्ट – 1

आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2011–12 की स्थिति में)

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	श्री राकेश साहनी	अध्यक्ष	22.09.2010	25.01.2015
2.	श्री के.के. गर्ग	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.01.2008	10.12.2011
3	श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य (इकोनामिक्स)	09.07.2008	08.07.2013

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2011 से 31.3.2012 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स.क्र.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण)'' विनियम, 2011	1807	8.6.2011	17.6.2011	(जी–37, वर्ष 2011)
02.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम)'' विनियम, 2010 (प्रथम संशोधन)	2041	30.6.2011	8.7.2011	{एआरजी–33 (I) (i), वर्ष 2011}
03.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड)'' विनियम 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) (चतुर्थ संशोधन)	2100	8.7.2011	22.7.2011	{क्रमांक एआर.जी.–8 (i) (iv), वर्ष 2011}
04.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम)" विनियम 2009 (चतुर्थ संशोधन)	304	3.2.2012	17.2.2012	{एआरजी–28 (I) (iv) 2012}
05.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम)'' विनियम 2009 (द्वितीय संशोधन)	379	10.2.2012	24.2.2012	{एआरजी–26 (I) (ii) 2012}
06.	''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (अट्ठारहवां संशोधन)''	606	28.2.2012	9.3.2012	{क्रमांक एजी –I (xviii), वर्ष 2012}

परिशिष्ट 3 (अ)

वर्ष 2011–12 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2012 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	15	184	170	29
2	दतिया	0	2	2	0
3	मुरैना	2	2	3	1
4	भिण्ड	8	4	12	0
5	गुना	0	3	2	1
6	अशोकनगर	0	0	0	0
7	शिवपुरी	0	31	30	1
8	श्योपुर	0	15	15	0
9	भोपाल	3	81	69	15
10	विदिशा	0	7	4	3
11	होशंगाबाद	1	31	28	4
12	बैतूल	4	5	9	0
13	राजगढ़	1	3	4	0
14	सीहोर	0	5	5	0
15	रायसेन	0	4	1	3
16	हरदा	1	2	3	0
	कुल योग	35	379	357	57

परिशिष्ट–3 (ब)

वर्ष 2011–12 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.12 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	07	131	123	15
2	धार	01	28	28	01
3	खरगौन	0	31	30	01
4	बड़वानी	08	22	27	03
5	खण्डवा	15	16	29	02
6	बुरहानपुर	21	38	56	03
7	झाबुआ	0	17	17	00
8	अलिराजपुर	0	04	04	00
9	उज्जैन	03	62	56	09
10	रतलाम	02	09	11	00
11	मंदसौर	05	08	13	00
12	नीमच	06	25	31	00
13	देवास	03	35	38	00
14	शाजापुर	01	25	26	00
	कुल योग	72	451	489	34

परिशिष्ट 3 (स)

वर्ष 2011–12 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.12 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जबलपुर	19	230	188	61
2	कटनी	03	28	23	08
3	मंडला	0	19	16	03
4	डिंडोरी	0	05	05	0
5	नरसिंहपुर	06	99	72	33
6	सिवनी	05	34	32	07
7	बालाघाट	05	15	18	02
8	छिंदवाडा	03	34	30	07
9	रीवा	25	85	72	38
10	सतना	22	166	132	56
11	सीधी	0	14	08	06
12	शहडोल	07	05	09	03
13	उमरिया	02	12	13	01
14	अनूपपुर	02	15	12	05
15	सिंगरौली	07	06	11	02
16	सागर	04	34	33	05
17	दमोह	08	23	25	06
18	छतरपुर	14	29	36	07
19	पन्ना	02	22	12	12
20	टीकमगढ़	01	13	09	05
	कुल योग	135	888	756	267

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति में प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
मीटर संबंधी शिकायतें	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	**4**	**17**	**14**	**0**	**6**	**1**	**0**	**7**
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	**2**	**16**	**8**	**0**	**7**	**3**	**0**	**10**
योग	**9**	**35**	**25**	**0**	**13**	**6**	**0**	**19**